

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक:—ई-11/नर्स-2/जे-164/2017/ दिनांक:—

संशोधन-आदेश

श्री जबराराम, नर्स-2 (परिवीक्षाधीन) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कागमाला (जालोर), को इग्नू के माध्यम से बी.एस.सी नर्सिंग कोर्स (तृतीय वर्ष) को निरन्तर जारी रखने की स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है:—

1. राज्य सेवा में कोई व्यवधान नहीं होगा।
2. राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
3. परीक्षा दिवस का नियमानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत कराना होगा।
4. कोर्स पूर्ण करने के पश्चात पदौन्ति व वित्तीय लाभ की मांग नहीं करेंगे।

—sd—
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:—ई-11/नर्स-2/जे-164/2017/628

दिनांक:— 04/08/2017

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर।
- 2 संबंधित कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 3 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
- 4 आदेश पत्रावली।



(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर